पश्चिमी सिंहभूम । न्यायमंडल :-

न्यायालय :--अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,

चाईबासा ।

पीठासीन पदाधिकारी :-रमाशंकर सिंह,

सिविल जज (वरीय कोटि)

सह अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,

चाईबासा ।

चाईबासा, दिनांक 05 नवम्बर, 2014 जी0आर0 केस नं0 — 654/2006

विचारण संख्या— 482 / 14

राज्य द्वाराविजय सिंह लेयांगी (मृत)

सूचक

बनाम

1.सिनु लेयांगी, उम्र लगभग 46 वर्ष, पिता—स्व0 भूईयॉ लेयांगी, 2.बाम्बो लेयांगी, उम्र लगभग 42 वर्ष, पिता-स्व0 गणेशराम लेयांगी, दोनो सा0-पोलोग, थाना-मुफफसिल,जिला-पश्चिमी सिंहभूम

अभियुक्तगण ।

अन्तर्गत धारा – 341,323,324,427,504/34 भा0द0वि0 ।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोजक । प्रतिरक्षा की ओर से श्री अमिताभ सरकार, विद्वान अधिवक्ता ।

नि र्ण य

- उपर्युक्त नामित अभियुक्तगण प्रस्तुत वाद में घारा 341,323,324,427,504/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने के आरोप के विरूद्ध वाद विचारण का सामना कर रहे है।
- प्राथमिकी के अनुसार अभियोजन का संक्षिप्त वाद यह है कि इस वाद के सूचक लेयांगी, पिता-डोबरा लेयांगी, ग्राम-पोरलोंग, थाना-मुफफसिल, जिला-पश्चिमी सिंहभूम,के द्वारा दिनॉक 20/11/2006 को ओ०पी० प्रभारी, पाण्ड्राशाली को एक लिखित प्रतिवेदन समर्पित किया गया कि जिसमें उल्लेख किया गया कि दिनांक 19/11/2006 की शाम 6:00बजे वह अपने घर में बैठकर अपने परिवार के साथ बातचीत कर रहा था कि उसी समय गाँव के ही बाम्बो लेयांगी, सिनु लेयांगी तथा गालु लेयांगी आया तथा गाली गलौज करने लगा । जब सूचक द्वारा उन्हें ऐसा करने से मना किया गया तो वे लोग सूचक तथा उनके भाई मोया लेयांगी तथा सूचक के लड़के इन्द्रजीत लेयांगी को ऑख में डंडा से मारपीट कर जख्मी कर दिया । रोने चिल्लाने की आवाज पर गाँव के बहुत सारे लोग आ गये तथा इन्हें मारपीट से बचाये । अभियुक्तगण सूचक के घर का खटिया, बरतन,आदि को तोड़ दिया । सूचक ने घटना का कारण पुरानी दुश्मनी बताया है।

- 3. सूचक के उपर्युक्त लिखित प्रतिवेदन के आधार पर मुफफसिल थाना काण्ड सं0 169/2006 दिनांक 20/11/2006 अन्तर्गत धारा 341,323,324,427,504/34 मा0द0वि0 , अभियुक्त बाम्बो लेयांगी, सिनु लेयांगी, एवं गालु लेयांगी के विरुद्ध दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं अनुसंधानोपरान्त अनुसंधानकर्ता द्वारा घटना को सत्य पाते हुए प्राथमिकी के नामित सभी तीनो अभियुक्तगण बाम्बो लेयांगी, सीनु लेयांगी, एवं गालु लेयांगी के विरुद्ध आरोप पत्र प्राथमिकी में वर्णित धाराओं के अन्तर्गत ही समर्पित किया गया जिसके आलोक में दिनांक 07/04/2007 को इस न्यायलय द्वारा आरोप पत्र मे नामित तीनो अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र एवं अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर धारा 323,324,427,504/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लेते हुए अभिलेख वाद विचारण हेतु निजी संचिका में अवस्थित किया गया।
- 4. अभिलेख अवलोकन से यह भी विदित होता है कि संज्ञानोपरान्त अभियुक्तो की उपस्थिति पुरी होने के उपरान्त उन्हें दिनांक 16/08/2007 को पुलिस कागजात की प्रति उपलब्ध कराई गई तथा दिनांक 10/12/2007 को घारा 341,323,324,427,504/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप गठित कर आरोप के विष्टियों से अभियुक्तों को अवगत कराया गया जिसे इन्कार करते हुए अभियुक्तों ने वाद विचारण की माँग की।
- 5. अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि विचारण का सामना करने वाले उपर्युक्त तीन अभियुक्तों में से एक अभियुक्त गालु लेयांगी की विचारण के कम में मृत्यु हो जाने के कारण न्यायालय के आदेश दिनांक 29/08/13 के आदेशानुसार उनके विरूद्ध वाद की अग्रतर कार्रवाई विलोपित कर दी गई और इस प्रकार प्रस्तुत वाद में सिर्फ उपर्युक्त दोनो नामित अभियुक्तों के विरूद्ध ही विचारण की कार्रवाई चल रही है।

 6. अब इस न्यायालय के समक्ष अभिनिर्धारण का प्रश्न है कि क्या अभियोजन पक्ष विचारण का सामना कर रहे उपर्युक्त दोनो अभियुक्तगण के विरूद्ध गठित माठदाविठ की धारा 341,323,324,427,504/34 के आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

<u>मन्तव्य</u>

- 7. प्रस्तुत वाद में अभियोजन की ओर से विचारण के दौरान अपने वाद के समर्थन में दो साक्षियों को परीक्षित किया गया है जिनमे से साक्षी संख्या—1 मोया लेयांगी इस वाद के सूचक के भाई हैं एवं साक्षी संख्या—2 इन्द्रजीत लेयांगी सूचक के पुत्र हैं तथा इस वाद के पीड़ित साक्षी हैं ।
- 8. सफाई पक्ष की ओर से किसी सफाई साक्षी को परीक्षित नहीं किया गया है इसलिए अभियुक्तगण के विरुद्ध गठित आरोपों का निर्णय मुख्य रूप से अभियोजन

की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्य के आलोक में किया जाना है तदनुसार उसका अध्ययन एवं विश्लेषण अपेक्षित है ।

9. जहाँ तक अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य का प्रश्न है साक्षी संख्या—1 मोया लेयांगी जो कि इस वाद के सूचक के माई एवं घटना के पीड़ित साक्षी हैं,ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन घटना का पूर्ण रूप से समर्थन किया है परन्तु on recall सशपथ प्रति परीक्षण के कण्डिका—15 में कहा है कि वह राजी खुशी से यह केस दोनो अभियुक्तों के साथ सुलह कर सुलहनामा दाखिल किया है । अब उनके बीच कोई विवाद नहीं है । अभियुक्तगण उनके परिवार के ही सदस्य है। अब वह केस लड़ना और गवाही देना नहीं चाहता है।

साक्षी सं0—2 इन्द्रजीत लेयांगी जो सूचक के पुत्र हैं ने अपने मुख्य परीक्षण के किण्डका—1 में कहा है कि यह केस उनके पिताजी ने किया था जिनकी मृत्यु दिनांक 14 जनवरी, 2009 को हो चुकी है। किण्डका—2 में कहा है कि यह घटना आठ वर्ष पूर्व समय शाम की है। उस समय वह अपने घर पर ही सोया था । मोया लेयांगी के चिल्लाने की आवाज पर वह उनके घर गया जहाँ बाम्बो लेयांगी एवं सिनु लेयांगी दोनो मिलकर मोया लेयांगी को मारपीट कर रहे थे जिन्हें बचाने के कम में इन्हें भी चोट लगी थी एवं किण्डका — 3 में इस साक्षी ने कहा है कि उन दोनो का ईलाज भी हुआ था । इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्तगण उनके चाचा हैं तथा सफाई पक्ष की ओर से किये गये प्रति परीक्षण के किण्डका—4 में स्पष्ट रूप से कहा है कि राजी खुशी से दोनो पक्षा में सुलह हो गया है। उभय पक्ष एक ही परिवार के सदस्य है। वह भीड़ में नहीं देख पाया कि कैसे चोट लगा था।वह आगे केस लड़ना और गवाही देना नहीं चाहता है तथा कहा कि सुलहनामा पर उसका हस्ताक्षर है।

- 10. बहस के कम में उभय पक्षों की ओर से निवेदन किया गया कि पक्षकार एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा उनके बीच सुलह हो गया एवं सुलह के बाद अच्छा सम्बन्ध स्थापित हो गया है एवं लगाये गये आरोपो में से धारा 341,323,427,504 भा0द0वि0 भा0द0वि0 का आरोप सुलहनीय है।
- 11. बहस के कम में उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत किये गये तर्कों के आलोक में अभिलेख का अध्ययन एवं विश्लेषण के पश्चात इस तथ्य की पुष्टि होती है इस वाद के सूचक विजय सिंह लेयांगी का विचारण के कम में ही मृत्यु हो चुकी है । सूचक इस वाद का सबसे महत्वपूर्ण साक्षी था । हालॉिक सूचक के पुत्र इन्द्रजीत लेयांगी ने अपने साक्ष्य के कम में अपने पिता यानि सूचक विजय सिंह लेयांगी को अभियुक्तों द्वारा मारने पीटने या गाली गलौज करने की बात बिल्कुल ही नहीं कहा है। सूचक के पुत्र इन्द्रजीत लेयांगी, अभियोजन साक्षी सं0—2 एवं सूचक के भाई मोया

लेयांगी,अभियोजन साक्षी सं0–1 ने अपने अपने साक्ष्य के कम में अभियुक्तगण के साथ स्वेच्छा सुलह सम्बन्धी तथ्य की पुष्टि की है तथा उनकी ओर से सुलहनामा आवेदन भी दाखिल किया गया है । अतः उपर्युक्त दोनो अभियुक्तों को धारा 341,323,427 एवं 504 भा0द0वि0 के आरोपो से सुलह के आलोक में दोषमुक्त किया जाता है ।

12. जहाँ तक धारा 324 भा0द0वि0 के आरोप का प्रश्न है। सूचक अपने द्वारा दिये गये प्राथमिकी में कहे है कि अभियुक्तों ने सूचक के पुत्र इन्द्रजीत लेयांगी को बॉया ऑख में मारकर जख्मी कर दिया परन्तु साक्ष्य के कम में इस तरह की बात इन्द्रजीत लेयांगी, अभियोजन साक्षी सं0—2 ने नहीं कहा है और सिर्फ इतना कहा है कि मोया लेयांगी को बचाने के कम में उन्हें भी चोट लगी थी। किस अभियुक्त के द्वारा इसे चोट पहुँचाया गया, नहीं कहा है।

साक्षी संख्या 1 मोया लेयांगी अपने मुख्य-परीक्षण में कहा है कि केवल उसे हाथ-मुक्का से अभियुक्तों ने मारा और किसी को चोट नहीं लगा। इस प्रकार इन्द्रजीत लेयांगी के शरीर पर चोट लगी ऐसा साक्ष्य यह नहीं दिया है। तत्पश्चात अभियोजन के प्रार्थना पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कराकर इसका प्रति-परीक्षण किया गया है। इस प्रकार इस साक्षी ने भी अभियोजन के अभियोग का समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार अभियोजन धारा 324 के अभियोग को सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है।

इसके अलावा अभिलेख पर दोनो पक्षों के द्वारा दाखिल सुलहनामा आवेदन तथा सुलह के लिए अनुमित आवेदन दाखिल किया गया है। चुंकि दोनो पक्षों के बीच में सुलह हो गया है तथा दोनो पक्षों के बीच शान्ति कायम हो गई है तथा दोनो पक्ष एक ही परिवार के सदस्य है।

परिणामतः साक्ष्य के अभाव में घारा 324 भा0द0वि0 के आरोप से भी पर्याप्त में दोषमुक्त किया जाता है। चुंकि अभियुक्त सिनु लेयांगी जमानत पर हैं अतः उन्हें एवं उनके प्रतिभूओं को इस वाद में निष्पादित बंधपत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है एवं अभियुक्त बाम्बो लेयांगी कारा मे संसीमित है अतः कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्त बाम्बो लेयांगी की मुक्ति हेतु अविलम्ब मुक्ति आदेश निर्गत करें।

(निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया)

(लेखापित एवं संशोधित) (लेखापित)

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, चाईबासा । 05/11/2014 अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, चाईबासा । 05/11/2014